

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या -482/2018
अनवान : -

1. राजपाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट साकिन चक 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर।
 2. दारा सिंह पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट साकिन चक 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर।
- वादीगण

बनाम्

1. रामेश्वरलाल पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन चक 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर।
2. सुमित्रा पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी महावीर जाति जाट साकिन चक 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर हाल निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर।
3. सुमन पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी रूघवीर जाति जाट निवासी चक 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर हाल निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 30/05/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता स० 73/65 की कुल 19.1770 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता स० 95/83 की कुल 9.1840 हैक्ट भूमि में से 321/2296 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स० 81/11 की कुल 2.3450 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स० 86/64 की कुल 5.3900 हैक्ट भूमि में से 4153/26940 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स० 10/55 की कुल 2.5550 हैक्ट भूमि में से 506/2555 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी स० 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 बहिब काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी स० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर



अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।


वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 बहिब काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता सं० 73/65 की कुल 19.1770 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता सं० 95/83 की कुल 9.1840 हैक्ट भूमि में से 321/2296 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता सं० 81/11 की कुल 2.3450 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता सं० 86/64 की कुल 5.3900 हैक्ट भूमि में से 4153/26940 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता सं० 10/55 की कुल 2.5550 हैक्ट भूमि में से 506/2555 हिस्सा भूमि प्रतिवादी


उपसुप अधिकारी
नोहर

स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीगण द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता स0 73/65 की कुल 19.1770 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता स0 95/83 की कुल 9.1840 हैक्ट भूमि में से 321/2296 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 81/11 की कुल 2.3450 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 86/64 की कुल 5.3900 हैक्ट भूमि में से 4153/26940 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 10/55 की कुल 2.5550 हैक्ट भूमि में से 506/2555 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या -482/2018

अनवान : -

1. राजपाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट साकिन चक 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर।
 2. दारा सिंह पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट साकिन चक 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर।
- वादीगण

बनाम्

1. रामेश्वरलाल पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन चक 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर।
2. सुमित्रा पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी महावीर जाति जाट साकिन चक 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर हाल निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर।
3. सुमन पुत्री रामेश्वरलाल पत्नी रूघवीर जाति जाट निवासी चक 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर हाल निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 482 सन 2018 निर्णय दिनांक 34/05/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता स० 73/65 की कुल 19.1770 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता स० 95/83 की कुल 9.1840 हैक्ट भूमि में से 321/2296 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स० 81/11 की कुल 2.3450 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स० 86/64 की कुल 5.3900 हैक्ट भूमि में से 4153/26940 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स० 10/55 की कुल 2.5550 हैक्ट भूमि में से 506/2555 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स० 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 34/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर